संख्या-147/2015/5114/26-3-2015-4(37)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0 लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 21 दिसम्बर 2015

विषयः- संविधान की धारा 275(1) के अन्तर्गतएकलव्य माडल आवासीय विद्यालय सोनहा खीरी में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 258/42/ज.जा.वि./2015-16 दिनांक-20.11.2015 के सन्दर्भ में चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-02-796-0104-24--बृहद निर्माण कार्य अन्तर्गत एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, सोनहा खीरी में विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु आय-ब्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रूपया-99.78 लाख (रूपया निन्यानबें लाख अठहत्तर हजार मात्र) धनराशि की श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते प्रदान करते हैः-

क्र.सं.	कार्य का नाम	धनराशि लाख रूपया में
1	2	3
1	बाउन्ड्रीवाल सहित मेन गेट	रूपया-43.75
2	कनेक्टिंग लिंक सी.सी.रोड़ विद्यालय कैम्पस	रूपया-39.45
3	डायनिंग हाल	रूपया-16.58
	योग	99.78

(रूपये निन्यानबें लाख अठहत्तर हजार मात्र)

(1) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0 से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबंध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को दी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायेगा। प्रायोजना के निर्माण में विलम्ब होने से पुनः यदि लागत में बृद्वि होती है तो इसके लिये निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार उसी कार्य के लिये किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(3) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराये जायेंगे।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट खाते में जमा नहीं है।

(5) उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के पूर्व समस्त वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस प्राप्त कर ली जायेगी। प्रायोजनाव्तगत प्रस्तावित बाट आउट आइटम्स के कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

2- उपर्युक्त धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0 81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104--संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय (के0100%/रा%)-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ0संख्या-147/2015/5114(1)/26-3-2015 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- जिलाधिकारी, लखीमपुरखीरी।
3- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि0।
4- अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- समाज कल्याण(बजट प्रकोष्ठ)
8- गार्डफाइल।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in